



**JALAUN POLICE**

**“Operation Conviction”**

**दिनांक 06.06.2026**

"ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन व कोतवाली उरई पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त अमित राजपूत पुत्र हरपाल निवासी ग्राम कस्मेर थाना आटा जनपद जालौन द्वारा **एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने** के संबन्ध में वादिनी की तहरीर के आधार पर कोतवाली उरई पर मु0अ0सं0 1719/19 धारा 354 ख भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट में पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त अमित राजपूत उपरोक्त को **03 वर्ष का कारावास एवं 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं कोतवाली उरई पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय पॉक्सो कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त अमित राजपूत उपरोक्त को दोषी पाते हुए **3 वर्ष का कारावास एवं 1,000/- रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



अभियोजन अधिकारी  
रणकेन्द्र भदौरिया



प्र0नि0 मॉनिटरिंग सेल  
श्री परमहंस तिवारी



हे0का0 सुधीर सिंह  
कोर्ट मुहसिर



का0 राहुल लवानियाँ  
कोर्ट पैरोकार